F-07-08
F-07-11

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु
MARATHAHALLI COLONY P.O.
BENGALURU - 560 037.

वर्ग अनुमोदन सं. 1666 का संशोधन सहित नवीकरण
Amendment cum Renewal of Type Approval No. 1666
विषय/Sub: इंडिजीनस रबड़ कम्पाउंड एनपीई-13
Indigenous Rubber Compound NPE–13

यह घोषित किया जाता है कि **11 बीआरडी एयरफोर्स स्टेशन,** ओझर टाउसशिप, नासिक द्वारा विकसित एवं **मेसर्स पॉलिमर इंटरप्राइस, ई-41,** एमआईडीसी एरिया, सतपुर, नासिक – 422 007 द्वारा उत्पादित तथा आपूर्तित " **इंडिजीनस रबड़ कम्पाउंड एनपीई-13** " को संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1666, दिनांक 23 जून 2011, द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 1666 जारी किया गया था जिसकी वैधता 30 जून 2016 तक है।

*This is to state that the **"Indigenous Rubber Compound NPE – 13"**, developed **by 11 BRD Airforce Station,** Ojhar Township, Nashik and manufactured and Supplied by **M/s Polymer enterprise,** E–41, MIDC Area, Satpur, Nashik – 422 007 was issued with Type Approval No.: 1666 vide Ref No.: CEMILAC/5070/TA–1666, dated: 23rd June 2011 with its validity up to 30th June 2016.*

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण **01 फरवरी 2017** से संतोषजनक निष्पादन प्रतिपुष्टि के आधार पर किया जाता है तथा **31 जनवरी 2022** तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के **तीन (03) महीने** पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ **आर.सी.एम.ए (नासिक),** सेमिलैक, नासिक – 422 007, से अनुरोध करना होगा।

*This is to certify that this Type Approval is hereby renewed w.e.f. **01st February 2017** based on the satisfactory performance feedback and is valid up to **31st January 2022** unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request **RCMA (Nashik)**, CEMILAC, Nashik – 422 007, **three (03) months** before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause.*

3. संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1666, दिनांक 23 जून 2011 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के **अनुच्छेद चार (04)** में निम्नलिखित संशोधन लागू है।

The Para four (04) of original Type Approval Certificate vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA–1666, dated: 23rd June 2011 is amended as stated herewith.

"[अगर इस संलग्न टाइप रिकोर्ड के वर्ग अनुमोदन, एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूरु की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।]"

*"[Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification **(CEMILAC),** Bengaluru, is to be obtained to adopt any changes in the Type Approval, SOP and in the declared performance indicated in the enclosed Type Record. The Type Approval is not at all transferable to any other agency]".*

4. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन पत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होंगे।
All other conditions stipulated in the initial type approval letter remain unaltered, and fully applicable.

सं. / No.: सेमिलैक/CEMILAC/5070/टी.ए/TA–1666/1R
दिनांक / Date: 23 February 2017
फैक्स सं./ Fax No: 080-25230856

(पी . जयपाल / P. JAYAPAL)
मुख्य कार्यपालक (उड़नयोग्यता)
Chief Executive (Airworthiness)

Ravi
21/02/2017